**आदेश 22, नियम 9 (2) सिं. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

आवेदक निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक निवेदन करता है।

1. यह कि प्रतिवादी की मृत्यु तारीख.................. को हो गयी और आवेदक तारीख............ को उपशमित किया गया वाद परिणाम सहित प्रतिवादी की मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकता था।
2. यह कि आवेदक को देय परिसीमा की कालावधि के अन्दर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया।

(पर्याप्त कारण का उल्लेख करे)

1. यह कि नीचे वर्णित व्यक्तियों मृत प्रतिवादी के उत्तराधिकारीगण एवम् विधिक प्रतिनिधिगण हैं। (नामो एवम पतों का उल्लेख करे)

**प्रार्थना**

अतएव यह, अतिसादर प्रार्थना की जाती है कि वाद का उपशमन ऐसे शर्तों पर अपास्त कर दी जाय जो यह आदरणीय न्यायालय उपयुक्त एवम् उचित समझता हो।

यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**वादी**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान...........**

**तारीख..........**